राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/19 **दिनांक :** 16.5.22

श्री दुर्गा प्रसाद,
उप विधि परामर्शी,
निदेशालय,
समेकित बाल विकास सेवायें, जयपुर ।

विषयः– राजकीय आदेशों की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत्।

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.02..2022 द्वारा आपको अपने पद के कार्य के साथ–साथ उप विधि परामर्शी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार अग्रिम आदेशों तक कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है। आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर में केवल एक बार उपस्थित हुए है। जबकि इस विभाग के आदेश दिनांक 03.02. 2022 के अनुसार नियमित रूप से उपस्थित होकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यों को सम्पादित करना था, इस प्रकार आप द्वारा राजकीय आदेशों की अवहेलना की गई है, इसे राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है, क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

अतः आप अविलम्ब अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा की आप उपरोक्त तथ्यों से सहमत है व आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

16.5

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

E:\Piyush 2020\Legal Data\2021-22\Order.docx